



ब्लॉक नंबर-7 ए, द्वितीय तल, आफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-24,
मुख्यालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

चना क्रय हेतु ई-निविदा दस्तावेज

समूह क्रमांक-दो

(जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर,
पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा)

वर्ष 2020-21

(अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक)

निविदा जारी करने की तिथि 07.04.2020

निविदा भरने की अंतिम तिथि 06.05.2020

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक नंबर-7 ए, द्वितीय तल, आफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-24,
मुख्यालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

// चना क्रय हेतु ई-निविदा वर्ष 2020-21 // (अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक)

निविदा प्रकाशन क्र./चना/निविदा/2020-21/276 नवा रायपुर, दिनांक 04.04.2020

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थित कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों (राज्य भंडार गृह निगम/केन्द्रीय भंडार गृह निगम के गोदाम) समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पण्ड्रा-गौरेला-मरवारी, कोरबा) हेतु लगभग 15,612.00 मेटन चना आपूर्ति हेतु भरत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम तथा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से ई-निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु दस्तावेज।

Seq. No.	NAN	Bidder	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1		Bid Download and bid submission	07.04.2020	11:00	06.05.2020	17:00	-----
2	Open Tender (Technical Bid)		दिनांक 08.05.2020 से 11.05.2020 तक टेक्नीकल बिड खोली जावेगी, तत्पश्चात प्रॉज बिड खोली जावेगी।				
3	Evaluation of Technical Bid						

टिप्पणी :-

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणोय है।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक 06.05.2020 को सायं 05.00 बजे तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रक्रिया का विधिवत् अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतज़ार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं होने पर समयावृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति Online ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा फार्म के लिए राशि रु. 5000 (पांच हजार) प्रोसेसिंग फीस एवं रु. 311.00 (तीन सौ ग्यारह) बीड सबमिशन फीस कुल राशि रु. 5311.00 (पांच हजार तीन सौ ग्यारह) वेबसाईट <https://eproc.cgstate.gov.in> में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन जमा किया जाना होगा। निविदा की आनलाईन प्रक्रिया के संबंध में निविदा भरते समय किसी भी प्रकार की सहायता के संबंध में चिप्स द्वारा ही जानकारी दी जायेगी। ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिये निविदा प्रपत्र का परिशिष्ट 12 का अवलोकन किया जा सकता है।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

6. निविदा दस्तावेज जमा करने के पहले ही निविदाकार का चिप्स में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर लेवें ।
7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में **पृष्ठ 01 से 37** तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा का भाग होगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन
लिमिटेड, नवा रायपुर (छ.ग.)

// उद्बोधन //

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) (परिशिष्ट-4) जिले में स्थित विभिन्न गोदामों में चना प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से चना क्रय (एफ.ओ.आर.) वित्तीय वर्ष 2020-21 में (अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक) के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि यह कार्पोरेशन, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/शक्कर/नमक/चना/दलहन/बारदाना आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय सम्मिलित है।
3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां चना का भंडारण किया जाना है, का विवरण दिया गया है। निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली-भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें भरें। निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट-6 में साफ-साफ शब्दों व अंकों में अंकित करें।
4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म ऑनलाईन निविदा, दर्शाई गई तारीख तथा निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे।
5. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस चक्र क्रय संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

चना क्रय निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं-

- (अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर केवल न्यूनतम दरदाता (L-1) से निगोशियेशन किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का मान्य होगा।
- (ब) निविदाकर्ता निविदाफार्म के साथ ऑनलाईन में ही वांछित दस्तावेज यथा अमानत राशि (RTGS Receipt/Transfer) परिशिष्ट-16 में वर्णित आवश्यक दस्तावेज क्रमिक रूप से संलग्न करें। उक्त वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
- (स) निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन
लिमिटेड, नवा रायपुर (छ.ग.)

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न हैं जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जावें।

परिशिष्ट – एक	इस परिशिष्ट पर चना क्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा हेतु परिभाषाएं दर्शित हैं।
परिशिष्ट – दो	इस परिशिष्ट पर प्रदान किये जाने वाले चना से संबंधित निविदा के नियम एवं शर्तें उल्लेखित हैं।
परिशिष्ट – तीन	इस परिशिष्ट पर चना के भुगतान एवं डिलेवरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
परिशिष्ट – चार	इस परिशिष्ट पर समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, घमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां चना की पूर्ति किया जाना है, की जानकारी दी गई है।
परिशिष्ट – पांच	इस परिशिष्ट पर निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है।
परिशिष्ट – छः	इस परिशिष्ट पर चना की प्रदाय दर प्रति क्विंटल की दर से (एफ.ओ.आर.) चाही गई है।
परिशिष्ट – सात	इस परिशिष्ट पर चना क्रय संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकार द्वारा रुपये 1000/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
परिशिष्ट – आठ	इस परिशिष्ट पर चना के स्पेशिफिकेशन दिया गया है।
परिशिष्ट – नौ	इस परिशिष्ट पर चना के एक किलो पैकेट का प्रारूप उल्लेख किया गया है।
परिशिष्ट – दस	इस परिशिष्ट को चना क्रय संबंधी एचडीईपी बैग का विवरण दिया गया है।
परिशिष्ट – ग्यारह	इस परिशिष्ट में सत्यनिष्ठा संबंधी विवरण दिया गया है।
परिशिष्ट – बारह	इस परिशिष्ट में ई-टेण्डर प्रोसेस संबंधी विवरण दिया गया है।
परिशिष्ट – तेरह	इस परिशिष्ट में टर्न ओवर के सत्यापन के लिये निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है।
परिशिष्ट- चौदह	इस परिशिष्ट में फर्म/संस्था द्वारा किसी भी राज्य में कालीसूची में दर्ज न हो, देने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया है।
परिशिष्ट- पन्द्रह	इस परिशिष्ट पर प्रतिभूति राशि वापसी हेतु शपथ पत्र दिया गया है।
परिशिष्ट- सोलह	इस परिशिष्ट पर निविदा के साथ जमा किये जाने वाले चैकलिस्ट की सूची उल्लेख किया गया है।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन
लिमिटेड, नवा रायपुर (छ.ग.)

// निविदा दस्तावेज // // चना क्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया //

01. ई-टेंडर निविदा :-

कार्पोरेशन को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) के लिये लगभग 15612.00 मे.टन चने की आवश्यकता होगी राज्य शासन की नीति अनुसार मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज इन्कम टैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN), वर्ष 2016-17 अथवा 2017-18 अथवा 2018-19 का आडिटेड बैलेंस सीट, अमानत राशि हेतु RTGS/Transfer का रसीद/साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज, टेक्नीकल बीड (TECHNICAL BID) परिशिष्ट-16 के अनुसार केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना होगा।

निविदाकारों जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है उनकी प्राइज बीड नहीं खोली जावेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

02. अमानत राशि :-

प्रत्येक निविदाकार को इस निविदा के साथ समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) के लिए रुपये 2.81 करोड़ रुपये दिनांक 06.05.2020 तक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के खाता क्रमांक (10822706427, IFSC CODE- SBIN 00085367) स्टेट बैंक आफ इंडिया, कमिश्नियल ब्रांच पचपेड़ी नाका, रायपुर में RTGS/Transfer के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। यह राशि भण्डार क्रय नियम 2002 के अनुपालन में जमा किया जाता है।

03. जमानत राशि जमा करने के संबंध में :-

निविदा स्वीकृत होने की दश में निविदा स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 10 दिवस के अंदर निविदाकार को कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है। अनुबंध निष्पादन उपरांत निविदाकार यदि चाहे तो निविदा के साथ जमा ई.एम.डी. राशि से 2.81 करोड़ रुपये को किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा 16 माह के लिये वैध एवं स्थान छत्तीसगढ़-रायपुर भुगतान योग्य एफ.डी. आर./बैंक गारंटी (Operable at Raipur), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन नवा रायपुर के पक्ष में करने के उपरांत ई.एम.डी.राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।

04. निविदा में हस्ताक्षर :-

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसे कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत को जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड, वाणिज्यकर का टिन नंबर की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज ऑनलाईन मूल प्रति से स्केन कराकर ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

05. निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :-

निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट-04, जिसमें गोदामों की जानकारी दी गई है। उक्त स्थानों के लिए चना प्रदाय हेतु प्रति क्विंटल दर अंकों एवं शब्दों में परिशिष्ट-06 के अनुसार ऑनलाईन में प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्व छत्तीसगढ़ के रेल/सड़क मार्गों को देखते हुए दरें प्रस्तुत करें जो बाद में परिवर्तनीय नहीं होगा।

फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होगी। केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें।

निविदा प्रपत्र में निविदाकार अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को चना छत्तीसगढ़ में प्रेषण के दौरान आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें विभाग/संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रस्तुत किये जाने वाले वंछित दस्तावेज को निविदाकार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने उपरांत नोटरी से सत्यपन कराना अनिवार्य है।

06. चना क्रय को मात्रा :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में चने की लगभग 15,612.00 मे.टन की आवश्यकता होगी तथा चना प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 1301.00 मे.टन से 2700.00 मे.टन चना प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं (संलग्न सूची अनुसार) जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी। चना प्रदाय मात्रा में कार्पोरेशन द्वारा आवश्यकतानुसार 25% कमी/वृद्धि की जा सकती है अथवा एवं अनुबंध की अवधि आगामी तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। जो कि निविदाकार पर बंधनकारी होगा इस अवधि में दरों में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में चना प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। कार्पोरेशन मुख्यालय से लगभग अनुमानित साप्ताहिक/पाक्षिक प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि चाहे तो प्राप्त कर सकता है किंतु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जब-जब चना की आवश्यकता होगी वह यथा संभव प्रदाय हेतु आदेश आपूर्तिकर्ता को सौंप जायेगा। यदि कभी कोई चना क्रय आदेश अथवा चना क्रय की मात्रा कम या अधिक रही, तो इसके लिए प्रतिष्ठान कार्पोरेशन को या उसके विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संविदा के पक्षकार चना आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान एवं प्रबंध संचालक की ओर से मनोनीत अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड होंगे।

07. निविदा स्वीकार करने संबंधी :-

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड को चना प्रदाय निविदा हेतु इस निविदा को बिना किसी कारण के मान्य/अमान्य/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का पूर्ण अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है।

08. ऑनलाईन में प्रस्तुत की गई समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंध के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।

// चना निविदा हेतु परिभाषाएं //

1. "चना" से तात्पर्य है कि प्रदाय किया जाने वाला चना निर्धारित मूल्य स्तर एवं गुणवत्ता का होना चाहिए।
2. "निविदा दस्तावेज" से तात्पर्य है कि चना क्रय निविदा हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा विधिवत क्रय किया गया दस्तावेज।
3. "संविदा" से तात्पर्य है कि चना क्रय हेतु कार्पोरेशन व प्रदायकर्ता के मध्य करार, जिसमें निविदा बुलाना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेड्यूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित है।
4. "कार्पोरेशन" शब्द से तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर है।
5. "प्रबंध संचालक" से तात्पर्य यह है कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर।
6. "निविदाकार" शब्द से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
7. "सफल निविदाकार" शब्द से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसकी दरे स्वीकृत हुई है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
8. "दर" शब्द से तात्पर्य है कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जिसे कार्पोरेशन द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।
9. "FSSAI" से तात्पर्य है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से है।

---0---

// चना प्रदाय हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें //

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 31 मार्च 2021 तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा तथा आवश्यकतानुसार अगले अनुबंध होने तक अथवा तीन महीने जो भी पहले हो, के लिये अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
- 1.1 आगामी अवधि हेतु आमंत्रित खुली निविदा में यदि कार्पोरेशन को युक्तिसंगत दर प्राप्त नहीं होती है तो अनुबंध को बढ़ी हुई अवधि के पश्चात् भी आपसी सहमति से उसी अनुबंध की शर्तों एवं स्वीकृत दर पर निविदा अवधि को अधिकतम तीन माह और बढ़ाया जा सकेगा।
2. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भली-भांति अवलोकन/परीक्षण करें। दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लें। प्रस्तुत दर में जी.एस.टी. एवं अन्य समस्त कर जो भी भारत सरकार /राज्य शासन द्वारा लागू किये गये हो। निविदा भरने का खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।
3. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम के तहत खाद्य कारोबार का जीवित अनुज्ञप्ति और पंजीयन होना आवश्यक है।
4. चन्ना की गुणवत्ता का मापदण्ड भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) रेग्युलेशन 2011 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगा तथा (परिशिष्ट 8 पर मानक गुणवत्ता का विवरण उपलब्ध है)। चना पैकेजिंग माह से 06 माह की अवधि तक कीटमुक्त हो।
5. कार्पोरेशन के गुणवत्ता कर्मियों द्वारा प्रदायकर्ता के पैकेजिंग कारखाना में गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा, चना गुणवत्ता परीक्षणोपरांत निर्धारित गुणवत्ता का चना पाये जाने पर पैकेजिंग करायी जावेगी एवं 50 किलोग्राम HDPE बैग में भरकर प्रदायकेन्द्रों को प्रेषित किया जायेगा तथा प्रदायकेन्द्रों में तकनीकी कर्मियों द्वारा पुनः परीक्षण कराया जायेगा।
6. चन्ना की पैकेजिंग 1 किलो ग्राम नेट वेट में रहेगा तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विनियम 2011 (FSSAI) के अनुसार पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियमों का पालन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जावेगा एवं पैकेजिंग पर बैच नंबर आपूर्तिकर्ता द्वारा ही अंकित किया जाना अनिवार्य है। बैच नंबर आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं निर्धारित किया जायेगा।
7. प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का चना 01 किलोग्राम नेट वजन, ग्रेडिंग करने के उपरांत संलग्न स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट-09 अनुसार 60 माइक्रान के पॉलीपैक में मल्टी कलर में 3 रंगों में तैयार किया जाएगा। पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपिरेट, मजबूत, होना चाहिए। पॉलीपैक पर ब्रॉडिंग का प्रारूप कार्पोरेशन द्वारा दिया जाएगा जिसकी प्रिंटिंग निविदादाता द्वारा कराया जाएगा। ब्रॉडिंग का प्रारूप परिशिष्ट 09 पर संलग्न है।
8. एच.डी.पी.ई. बैग की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग 01 किलोग्राम के 50-50 पैकेट की संख्या में नए एच.डी.पी.ई. बैग में भरकर सिलाई किया जाएगा। एच.डी.पी.ई. बैग क ऊपर छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का मोनो एवं कार्यालय का नाम पैकेजिंग माह अनिवार्य रूप से प्रिंट रहेगा, साथ ही "छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए" वितरण हेतु चना अंकित करना अनिवार्य रहेगा।
9. 50 किलो ग्राम एच.डी.पी.ई. बैग के लिये भारतीय मानक (BIS-IS 14887:2006)द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार उपयोग किया जावेगा। (परिशिष्ट 10 में संलग्न है)
10. चना की लगभग 15,612.00 मे.टन की आवश्यकता होगी तथा चना प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 1301.00 मे.टन से 2700 मे.टन चना प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं (संलग्न सूची अनुसार) जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित प्रतिष्ठान की होगी।

चन्दा प्रदाय मात्रा में कार्पोरेशन द्वारा आवश्यकतानुसार 25% कमी/वृद्धि की जा सकती है अथवा एवं अनुबंध की अवधि आगामी तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। जो कि निविदाकार पर बंधनकारी होगा इस अवधि में दरों में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

- 10.1 संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा के प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यदि क्रय आदेश अवस्था क्रय योग्य मात्रा कम या अधिक रहती है तो प्रदायकर्ता का कोई भी दावा व आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी।
11. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की दशा में चन्दा का सप्लाई अधिकतम 30 दिवस के अंदर प्रदाय आदेश के अनुरूप प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
- 11.1 यदि एक माह का ज्यादा का प्रदाय आदेश देने पर प्रदाय आदेश में वृद्धि किया जा सकता है, यह अधिकार, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर को होगा।
12. चन्दा बोरे में किसी भी दशा में हुक ना लगे। पैकेट फटने पर फटे हुये पैकेट के वजन की पावती प्रदायकर्ता को नहीं दी जावेगी। फटे हुये पैकेट प्रदायकर्ता द्वारा तत्समय ही वापस ले जायेगा।
13. संविदा अवधि में किसी भी कारण जैसे-शासन द्वारा न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा का उतार-चढ़ाव, शासन की नीतियों में परिवर्तन यथा जी.एस.टी. अथवा अन्य कर जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किया जावेगा उस पर संविदा की दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा सफल निविदाकार को आबंटित मात्रा के अनुसार प्रदाय करना होगा, इसके लिये अतिरिक्त राशि की माग नहीं कर सकेगा।
14. चन्दा का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर चना प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।
15. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/चना प्रतिष्ठान की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में चना प्रेषण करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लायसेंस, फैक्ट्री लायसेंस, पैकिंग लायसेंस एवं खाद्य से संबंधित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित लायसेंस, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें कार्पोरेशन द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज को जाकर 3 वर्षों के लिये प्रतिबंधित की जावेगी।
16. (अ) निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदा स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 10 दिवस के अंदर निविदाकार को कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है। अनुबंध निष्पादन उपरांत निविदाकार यदि चाहे तो निविदा के साथ जमा ई.एम.डी. राशि से 2.81 करोड़ रुपये को किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा 16 माह के लिये वैध एवं स्थान छत्तीसगढ़-रायपुर भुगतान योग्य एफ.डी.आर./बैंक गारंटी (Operable at Raipur), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में करने के उपरांत ई.एम.डी.राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।
- (ब) निर्धारित अवधि में करार निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा अमानत राशि (ई.एम.डी. राशि) यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में राजसात कर ली जावेगी। तथा निविदाकार को 03 वर्षों के लिये निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करते हुये कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
- (स) सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि में करार निष्पादन नहीं करने की स्थिति में निविदा में भाग लिये क्रमशः एल-2, एल-3, एवं अन्य निविदाकारों से चना आपूर्ति की जावेगी।

चन्द्र आपूर्ति किये जाने की स्थिति में कार्पोरेशन को होने वाली रिस्क एण्ड कास्ट एवं अनुसंगिक व्यय की वसूली एल-1 निविदाकार से भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों/अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत की जावेगी।

17. चन्द्र क्रय हेतु निविदा समूह क्रमांक-दा (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, घमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) स्थित बेसडिप्रे/गोदामा (परिशिष्ट 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामा पर (एफ.ओ.आर.) पहुंचाकर स्टेकिंग करने तक की दर चाही गई है।
18. यदि प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में चने की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा प्रदाय में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो आम उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए कार्पोरेशन स्वीकृत दर अथवा प्रदायकर्ता के रिस्क एंड कास्ट पर अधिक दर पर कार्पोरेशन के निविदा में भाग लिये गये एल-2, एल-3 एवं अन्य निविदाकारों से न्यूनता के क्रम में प्रतिभूति राशि जमा कराकर, राज्य शासन के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/भारत सरकार के उपक्रम/फर्म से चना क्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं अतिरिक्त व्यय हुई राशि की वसूली अनुबंधित प्रदायकर्ता से की जाएगी।
19. निविदा में एल-1 निविदाकारों का छोड़कर समस्त निविदाकारों की ई.एम.डी. निविदा खुलने के पश्चात अधिकतम 15 दिवस के अंदर वापस कर दी जायेगी।
20. (अ) निविदाकार के पास वित्तीय वर्ष 2016-17 अथवा 2017-18 अथवा 2018-19 में दलहन व्यवसाय का टर्न ओव्हर के साक्ष्य स्वरूप फर्म/कंपनी की अंकेक्षित बैलेंस सीट, लाभ-हानि खाता संलग्न करना आवश्यक होगा।
(ब) टर्न ओव्हर के सत्यापन के लिये निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रारूप के लिये परिशिष्ट 13 देखें।
(स) टर्न ओव्हर के समर्थन में निविदाकार द्वारा जिस स्थान एवं वित्तीयवर्ष का टर्न ओव्हर संलग्न किया जायेगा उसके समर्थन में उस स्थान (राज्य) का दलहन का फूड लायसेंस/टर्न ओव्हर से संबंधित राज्य में यदि दलहन लायसेंस प्रदान नहीं की जाती हो तो उस राज्य में राज्य शासन द्वारा अथवा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की छायाप्रति भी जमा किया जाना अनिवार्य रहेगा।
(द) टर्न ओव्हर उसी फर्म का मान्य किया जावेगा जिस फर्म की ओर से निविदा भरी जावेगी उस फर्म के सहायक फर्म या अन्य फर्म का टर्न ओव्हर मान्य नहीं किया जावेगा।
(ई) (ई) निविदाकार द्वारा समूह एक में भाग लेने पर टर्न ओव्हर 20 करोड़ रुपये, समूह दो के निविदा में भाग लेने पर टर्न ओव्हर 16 करोड़ रुपये, समूह तीन के निविदा में भाग लेने पर टर्न ओव्हर 15 करोड़ रुपये, समूह चार के निविदा में भाग लेने पर टर्न ओव्हर 12 करोड़ रुपये होना आवश्यक है। समूहवार टर्न ओव्हर की गणना दो माह के चने की समूहवार अनुमानित आबंटन के आधार पर की गई है। सभी चारों समूहों के लिये निविदा में भाग लेने पर कुल टर्न ओव्हर 63 करोड़ रुपये वार्षिक का होना अनिवार्य है। यदि निविदादाता एक समूह से अधिक समूहों के लिए निविदा में भाग लेता है तो उसका टर्न ओव्हर भाग लिये जाने वाले समूहों के पृथक-पृथक टर्न ओव्हर के योग के बराबर होना अनिवार्य है। इससे कम राशि का टर्न ओव्हर होने की स्थिति में संबंधित निविदाकार की सभी निविदायें अपात्र घोषित कर दी जायेगी।
21. जमा अर्नेष्ट मनी एवं सिक्युरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
22. निविदा भरत समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तें/टीप, प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध/अमान्य की जा सकती है।

23. निविदाकार द्वारा कृषि उपज मंडी का लायसेंस, आयकर एसेसमेंट प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
24. प्रदाय आदेश (Supply Schedule) पाक्षिक/मासिक रूप से दिया जावेगा। प्रदाय आदेश के तहत निर्धारित मात्रा को निर्धारित समयावधि तक प्रदाय नहीं करने पर 2% पेनाल्टी एवं उस पर जी.एस.टी. अधिरोपित कर, प्रदाय अवधि 30 दिवस अतिरिक्त बढ़ाई जा सकती है। इससे अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने/कालीसूची में दर्ज करने/आगामी तीन साल के लिए अयोग्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगी।
25. यदि अनुबंधित चना प्रतिष्ठान, कार्पोरेशन द्वारा दिये गये चना प्रदाय आदेश के अनुसार चना प्रदाय नहीं करता है तथा चन्दा प्रदाय अवधि समाप्त होने के 07 दिवस के बाद भी चन्दा प्रदाय की प्रगति संतोष जनक नहीं है तो कार्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भ्रग लिये एल-2 तथा न्यूनता के क्रम में अन्य निविदाकारों से, संविदा के अधीन अनुबंधित एल-1 चना प्रतिष्ठान की जोखिम एवं खर्चों पर आनुप्रातिक तौर पर चना की पूर्ति कराले। इस स्थिति में कार्पोरेशन के द्वारा किये गये खर्चों की राशि एल-1 के लिये स्वीकृत दर का 25% या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित एल-1 प्रतिष्ठान का होगा।
26. निविदा एवं अनुबंध में नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में राजसात कर नाम 03 वर्ष के लिये काली सूची में दर्ज की जावेगी।
27. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे स्वीकृत दर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिये अनुबंध करना होगा।
28. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार है।
29. कार्पोरेशन का यह प्रदाय अदृश अहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कांट्रेक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित नहीं कर सकेगा। यदि अन्य व्यक्ति को अनुबंध (Contract) सौंपा जाता है तो संबंधित फर्म का अनुबंध निरस्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा अनुबंध निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।
30. केवल L-1 निविदाकार से निगोशियेशन किया जा सकता है।
31. ई-टेंडर प्रक्रिया के संबंध में परिशिष्ट-12 पर संलग्न है।
32. यदि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संविदा अवधि में फूड लायसेंस अनिवार्य किया जाना है तो अनुबंधित निविदाकार को छत्तीसगढ़ राज्य का दलहन का जीवित फूड लायसेंस उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के दलहन के जीवित फूड लायसेंस उपलब्ध नहीं कराने पर निविदा कंडिका 16 (ब), (स) एवं 26 के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
33. मुख्यालय द्वारा निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात् एल-1 द्वारा जिस जिले में चना पैकिंग कारखाना स्थापित किया जावेगा उस स्थान के कारखाने का उद्योग विभाग से जारी किये गये लायसेंस की प्रति एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जावेगा।
34. जिस गोदाम में चना पैकिंग किया जावेगा पैकिंग से पूर्व उस गोदाम का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लायसेंस निगम मुख्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
35. माइक्रोस्माल मिडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म होने की दशा में पंजीयन की छायाप्रति संलग्न किया जावे।
36. निविदाकार/परिवहनकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर जी.एस.टी. एक्ट 2016 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

37. निविदाकार राज्य एवं केन्द्र शासन के किसी भी अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी न हो, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम/भ्ररतीय दण्ड संहिता अंतर्गत कोई अपराध इत्यादि।
38. निविदा में भाग लेने वाले एवं अनुबंध करने वाले निविदाकार के किसी भी कार्य से कार्पोरेशन के कार्यप्रणाली/प्रतिष्ठा प्रभावित होती है या कार्पोरेशन को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है, निविदाकार/अनुबंधकर्ता के उपर कार्पोरेशन को प्रभावी "Procedures of CG State Civil Supplies Corporation Ltd for Suspension and Debarment of Contractors/ Firms 2016" के अन्तर्गत दिये गये प्रावधनों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।
39. इस निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
40. निविदाकार को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों, शर्तों एवं उसके अधीन जारी निदेशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में कार्पोरेशन द्वारा अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा निविदाकार को तीन वर्षों के लिए काली सूची में नाम दर्ज किया जा सकेगा।
41. आपूर्तिकर्ता द्वारा पैकिंग, मटेरियल में बैच नंबर, प्रदाय आदेशवार **परिशिष्ट-9** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिंट कराया जायेगा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उपयोग किये जा रहे पैकिंग मटेरियल से चना की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
42. इस निविदा में उल्लेखित समस्त कण्डिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इन्टरपीटेशन) के विषय में कोई विवाद होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं निविदाकारों पर बंधनकारी होगा।
43. इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उस पर एक मात्र आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णय किया जावेगा। इसके लिए संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, नवा रायपुर-छ.ग. अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि एक मात्र आर्बिट्रेटर होंगे, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त विवादों का न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित जिला न्यायालय होगा।
44. निविदाकार फर्म/संस्था, भारत शासन/किसी भी राज्य में कालीसूची में दर्ज न हो, देने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट-14** में दिया गया है।
45. उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनार्यें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस चना क्रय संविदा के अभिन्न अंग माना जावेगा।
46. विवाद की स्थिति में किसी भी पक्षकार को किसी भी दावे/क्षतिपूर्ति पर कोई ब्याज की राशि देय नहीं होगी।
47. अनुबंधित प्रदायकर्ता द्वारा विशेष रूप से GPS डिवाइस लगे वाहनों से चना प्रदाय किया जावे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्य किया जा सकता है।
48. निविदाकार को ई-निविदा के साथ ई-वे बिल जनरेट करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीयन आवश्यक है। निविदाकार को ई-निविदा प्रपत्र के साथ ई-वे बिल जनरेट करने का पंजीयन क्रमांक संलग्न करना आवश्यक है।

// भुगतान एवं डिलीवरी प्रक्रिया //

- 1 निविदा में चन्दा की दर (एफ.ओ.आर) राज्य के समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर/पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) के जिलों में स्थित प्रदायकेन्द्रों/गोदामों पर रेल/सड़क माध्यम से परिवहन कर लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित चाही गई है, दरें जी.एस.टी. अन्य समस्त करों सहित होंगी। भविष्य में विकास खण्डों, प्रदायकेन्द्रों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है जिसे निविदाकार को मूल्य करना बंधनकारी होगा।
- 2 निविदादाता द्वारा चना के प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर कारपोरेशन अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के स्रथ जमा अमानत/जमानत राशि अपने पक्ष में राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 3 (अ) अनुबंधित निविदाकार द्वारा जिलों के गोदामों पर प्रदाय की गई चना मात्रा की ऑनलाईन पावर्ती अनुसार देयक 02 प्रतिशतों में सप्ताह में एक बार प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत देयकों के अनुसार संबंधित माह में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) अथवा FSSAI द्वारा प्राधिकृत NABL के प्रयोगशाला से प्रदाय अदेशवार/ बैच क्रमांकवार चना का गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत 90 प्रतिशत राशि का अंतरिम भुगतान किया जावेगा।
(ब) प्रदायकर्ता द्वारा 10 प्रतिशत राशि के देयक जमा करते समय, आनलाईन ट्रकचलान, चना पावर्ती (प्रदायकेन्द्र प्रभारी के सील व हस्ताक्षर हो) विश्लेषण रिपोर्ट (विश्लेषणकर्ता के सील व हस्ताक्षर हो), तौलपत्रक (सभी दस्तावेजों का मूल प्रति) देयक के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावेगा। 10 प्रतिशत शेष राशि का देयक, जिला प्रबंधकों से प्रपत्र-13, प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाईन देयक अनुसार राशियों में से माह में किये गये 90 प्रतिशत अंतरिम भुगतान का समायोजन पश्चात् शेष 10 प्रतिशत राशि में से विलंबित अवधि की पेनाल्टी राशि, जी.एस.टी सहित कटौती एवं अन्य वसूली योग्य राशि का कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
- 4 भुगतान वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये नेट चना का भुगतान होना एवं प्राप्ति स्थल पर गुणवत्ता परीक्षण एवं शत-प्रतिशत तौल कर जमा कराया जायेगा, तत्समय ऑनलाईन चना प्राप्ति तथा तौलपत्रक की मूल प्रति प्राप्त कर देयक की 10 प्रतिशत राशि भुगतान प्राप्त करत समय देयक में संलग्न किया जावेगा।
- 5 प्रदाय अदेश (Supply Schedule) पाक्षिक/मासिक रूप से रोड परिवहन से करने हेतु दिया जावेगा। आदेशित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में चना उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकर्ता फर्म की बाध्यता रहेगी।
- 6 आपूर्तिकर्ता के कारखानों में कारपोरेशन के तकनीकीकर्मियों द्वारा पैकिंग के पूर्व पालीथीन, एचडीपीई बैग तथा चना का गुणवत्ता परीक्षण किया जावेगा गुणवत्ता परीक्षण उपरांत ही चना प्रदायकेन्द्रों को प्रेषित किया जावेगा।
- 7 प्राप्ति प्रदायकेन्द्र में जिला स्तरीय गुणवत्ता परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण में चना स्वीकृत होने पर ही उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण किया जायेगा तथा समिति द्वारा पुनः परीक्षण में अमानक पाये जाने पर चना अस्वीकृत किया जायेगा जिसके बदले निविदाकार द्वारा मानक गुणवत्ता का चन्दा उपलब्ध कराया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण समिति का परीक्षण रिपोर्ट जिला प्रबंधक से प्राप्त कर प्रपत्र-13 के साथ शेष 10 प्रतिशत राशि के देयक के साथ जमा कराने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

- 8 प्रदाय अद्देश के तहत निर्धारित मात्रा को निर्धारित समयावधि तक प्रदाय नहीं करने पर 2% पेनाल्टी एवं उस पर जी.एस.टी. अधिरोपित कर, प्रदाय अवधि 30 दिवस अतिरिक्त बढ़ाई जा सकती है। इससे अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने/कालीसूची में दर्ज करने/आगामी तीन साल के लिए अयोग्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगी।
- 9 प्रदाय की गई चना की गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाया जाता है तो कार्पोरेशन भुगतान अस्वीकृत करने के साथ साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करते हुए अमानत/जम्नत राशि राजसात कर सकेगा ।
- 10 प्रदायकर्ता द्वारा प्रेषित चना प्रदायकेन्द्रों में प्राप्ति के समय तथा उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण के बाद मानक गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर वापस ले जायेगा तथा प्राप्ति के पश्चात बाद में भी अमानक पाये जाने पर प्रदायकर्ता अपने खर्चों से चन्ना उठायेगा तथा उसमें होने वाली हम्माली/परिवहन/भण्डारण आदि समस्त खर्चों की वसूली प्रदायकर्ता के देयक से की जावेगी।
- 11 अनुबंधित निविदाकार से कार्पोरेशन को देय बकाया राशि की वसूली छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों/अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत की जावेगी।

—00—

परिशिष्ट – चार

समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरैला-मरवाही, कोरबा) के जिलेवार स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां चने की पूर्ति किया जाना है, मासिक आबंटन की आवश्यकता।

(मात्रा मे0टन में)

क्र.	जिला	क्र.	प्रदाय केन्द्र	अनुमानित मासिक आबंटन
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	1	कसडोल	36.000
		2	बिलाईगढ़	17.000
योग :-				53.000
2	धमतरी	3	धमतरी	17.000
		4	नगरी सिहावा	69.000
योग :-				86.000
3	गरियाबंद	5	गरियाबंद	112.000
		6	मैनपुर	70.000
योग :-				182.000
4	महासमुंद	7	पिथौरा	36.000
		8	बसना	62.000
		9	बागबाहरा	45.000
		10	महासमुंद	35.000
		11	सरायपाली	21.000
योग :-				199.000
5	बिलासपुर,	12	करगीरोड़	117.000
योग :-				117.000
6	पेण्ड्रा-गौरैला-मरवाही	13	पेण्ड्रारोड़	113.000
		14	मरवाही	74.000
योग :-				187.000
7	कारेबा	15	कटघोरा	180.000
		16	कोरबा	208.000
		17	फूली	89.000
योग :-				477.000
महायोग :-				1301.000

नोट :- 1. उपरोक्तानुसार जिलों के प्रदायकेन्द्र के आबंटन मात्रा, शासन के आबंटन के अनुसार कमी/अधिक हो सकती है एवं प्रदायकेन्द्रों में घट/बढ़ सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त जिले के प्रदायकेन्द्र कमी/अधिक हो सकती है, जिसे प्रदायकर्ता के लिये बंधनकारी होगा एवं स्वीकृत दर पर ही प्रदाय करना होगा। मात्रा में कमी होने पर कोई हर्जाना देय नहीं होगा तथा नये प्रदायकेन्द्र भी प्रारंभ किये जा सकते हैं वहाँ तक आपूर्ति करने की बाध्यता आपूर्तिकर्ता की होगी।

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

प्रेषक,

..... (संस्था का नाम)
..... (एवं पूर्ण पता)
..... (ई-मेल)
..... (मोबाइल नंबर)

निविदाकार
अपना पासपोर्ट
आकार का
फोटो यहां
चिपकाएं

प्रति,

प्रबंध संचालक,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों/गोदामों में चना कय हेतु निविदा के अनुसार हमने/ मैंने कार्पोरेशन मुख्यालय में रसीद नम्बर दिनांक को रूपये जमाकर यह निविदा फार्म कय किया है। हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमा तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भलो भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया तथा हम/ मैंने उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मैंने चना छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में एफ.ओ.आर. (लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित) (दरें समस्त करों सहित) पहुंचाकर देने संबंधी निविदा के तारतम्य मे यह निविदा भर रहे हैं। हमारा/ मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है -

(01) निविदाकार का नाम व पता

(02) दूरभाष क्रमांक कार्यालय

इण्डस्ट्रीज

(03) निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/.....

कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)

(फर्म/कंपनी का पंजीयन प्रमाण पत्र/कंपनी विलेख

की प्रति संलग्न करें)

(04) मुखियार (कर्ता) का नाम व पता

(हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में फ़वर आफ अटार्नी)

(05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी के

नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति

संलग्न करें)

(06) फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं

दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

- (07) आयकर रिटर्न तथा पेन की सत्यप्रति
(वित्तीय वर्ष 2016-17 या 2017-18
या 2018-19 का आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करें)
- (08) बैंकर का नाम शाखा सहित
(आई.एफ.एस.सी.कोड़ सहित खाता क्रमांक का विवरण दें)
- (09) संस्था का व्यवसाय एवं टर्न ओव्हर
(दलहन व्यवसाय का टर्न ओव्हर परिशिष्ट 13
अनुसार निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टे
से सत्यापित कराकर संलग्न करें) तथा
उस स्थान (राज्य) का दलहन का फूड लायसेंस/टर्न ओव्हर से संबंधित राज्य में यदि दलहन
लायसेंस प्रदान नहीं की जाती हो तो उस राज्य में राज्य शासन द्वारा अथवा अधिकृत एजेंसी
द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- (10) निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण.....
रु.
बैंक RTGS RECEIPT/TRANSFER RECEIPT.....
बैंक का नाम
दिनांक
- (11) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक
प्राधिकरण पैकेजिंग एवं लेवलिग विनियम
के अन्तर्गत खाद्य कारोबार का जीवित
अनुज्ञापति एवं पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें
- (12) मण्डी लायसेंस की प्रति संलग्न करें
- (13) छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन व्यवसाय
का फूड लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें
(यदि उपलब्ध हो तो)
- (14) वाणिज्यिक कर का टिन नंबर की छायाप्रति संलग्न करें
- (15) जी.एस.टी. नंबर की छायाप्रति संलग्न करें
3. यदि कार्पोरेशन द्वारा हमें/मुझे चना प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि
में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मैं/हम निविदा परिशिष्ट-2 के "नियम एवं शर्तों" के सभी शर्तों से सहमत हूँ/हैं।
5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न
परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।
- दिनांक हस्ताक्षर
- नाम
- फर्म का नाम
- पूरा पता
- हैसियत
- मुहर

नोट :- इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में प्रविष्ट अतिआवश्यक है, अन्यथा
अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

// चना प्रदाय की दर //

समूह क्रमांक-दो
(जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर,
पेण्ड्रा-गौरला-मरवाही, कोरबा)

चना एफ.ओ.आर. वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक) में प्रदाय की दर :-

क्र.	विवरण	दर रूपये प्रति क्विंटल	
		अंकों में	शब्दों में
01	चना की अच्छी तरह सफाई/ग्रेडिंग उपरांत 01 किलो के पालीपैक (60 माइकान) में पैकिंग कर 50 किलोग्राम के नई एचडीपीई बैग में भरकर मशीन सिलाई कर प्रदाय दर (एफ.ओ.आर.) परिशिष्ट-चार पर उल्लेखित विभिन्न गोदामों में स्टेकिंग करने तक की दर (दरें समस्त करों सहित होंगी)		

उपरोक्तानुसार दरें (एफ.ओ.आर. एवं समस्त करों एवं जी.एस.टी. सहित) मेरे/हमारे द्वारा भरी गई हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नम्र

पूरा पत्ता

हैसियत

मुहर

करार
नमूना प्रति
(एक हजार रुपये मूल्य का गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र)

पक्ष क्रमांक 1- छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, ब्लाक नंबर-7 ए, द्वितीय तल, अफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-24, मुख्यालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पक्ष क्रमांक 2 - (प्रदायकर्ता)
समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) के लिए चना क्रय क्रमांक हेतु स्वीकृत दर रुपये
----- अक्षरी-रूपये प्रति टन

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर पक्ष क्रमांक 1 द्वारा पत्र क्रमांक द्वारा चना प्रदाय के लिए आमंत्रित ई-निविदा क्रमांक दिनांक में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर का ज़रूरी स्वीकृति पत्र क्रमांक / दिनांक के अनुसार पक्ष क्रमांक 2 द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य के समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) हेतु जिलों के प्रदायकेन्द्रों/गोदामों में पक्ष क्रमांक 01 द्वारा निर्धारित प्रदाय केन्द्रों तक प्रदाय करने के लिए रुपये अक्षरी रूपये प्रति टन की दर निर्धारित किया गया है। आज दिनांक दिन को यह अनुबंध पक्ष क्रमांक 01 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर तथा पक्ष क्रमांक 02 (प्रदायकर्ता) की ओर से निदेशक श्री के मध्य आगे वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन अनुबंध निष्पादन किया जाता है।

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दर निविदा दिनांक से **31 मार्च 2021** तक वैध रहेगी जिसे मरुने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा तथा आवश्यकतानुसार अगले अनुबंध होने तक अथवा तीन माह जो भी पहले हो, के लिये अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
- 1.1 आगामी अवधि हेतु आमंत्रित खुली निविदा में यदि कार्पोरेशन को युक्तिसंगत दर प्राप्त नहीं होती है तो अनुबंध को बढ़ी हुई अवधि के पश्चात् भी आपसी सहमति से उसी अनुबंध की शर्तों एवं स्वीकृत दर पर निविदा अवधि को अधिकतम तीन माह और बढ़ाया जा सकेगा।
2. चना की गुणवत्ता का मापदण्ड भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) रेग्युलेशन 2011 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगा तथा (परिशिष्ट 8 पर मानक गुणवत्ता का विवरण उपलब्ध है)। चना पैकिंग माह से 06 माह की अवधि तक कीटमुक्त हो।
3. चना की पैकिंग 1 किलो ग्राम नेट वेट में रहेगा तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विनियम 2011 (FSSAI) के अनुसार पैकेजिंग एवं लेवलिंग नियमों का पालन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जावेगा एवं पैकिंग पर बैच नंबर आपूर्तिकर्ता द्वारा ही अंकित किया जाना अनिवार्य है। बैच नंबर आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं निर्धारित किया जायेगा।
4. कार्पोरेशन के गुणवत्ता कर्मियों द्वारा प्रदायकर्ता के पैकिंग कारखाने में गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा, चना गुणवत्ता परीक्षणोपरांत निर्धारित गुणवत्ता का चना पाये जाने पर पैकिंग करायी जावेगी एवं 50 किलोग्राम HDPE बैग में भरकर प्रदायकेन्द्रों को प्रेषित किया जायेगा तथा प्रदायकेन्द्रों में तकनीकी कर्मियों द्वारा पुनः परीक्षण करायी जायेगा।

5. प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का चना 01 किलोग्राम नेट वजन, ग्रेडिंग करने के उपरांत संलग्न स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट-09 अनुसार 60 म्इक्रान के पॉलीपैक में मल्टी कलर में 3 रंगों में तैयार किया जाएगा। पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपिरेन्ट, मजबूत, होना चाहिए। पॉलीपैक पर ब्रॉडिंग का प्रारूप कार्पोरेशन द्वारा दिया जाएगा जिसकी प्रिंटिंग निविदादाता द्वारा कराया जाएगा। ब्रॉडिंग का प्रारूप परिशिष्ट 09 पर संलग्न है।
6. एच.डी.पी.ई. बैग की गुणवत्ता एवं पैकिंग 01 किलोग्राम के 50-50 पैकेट की संख्या में नए एच.डी.पी.ई. बैग में भरकर सिलाई किया जाएगा। एच.डी.पी.ई. बैग के ऊपर छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का मोनो एव कार्यालय का नाम पैकिंग माह अनिवार्य रूप से प्रिंट रहेगा, साथ ही "छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए" वितरण हेतु चन्ना अंकित करना अनिवार्य रहेगा।
7. 50 किलो ग्राम एच.डी.पी.ई. बैग के लिये भारतीय मानक (BIS-IS 14887:2006) द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार उपयोग किया जाएगा। (परिशिष्ट 10 में संलग्न है)
8. चना की लगभग 15,612.00 मे.टन की आवश्यकता होगी तथा चना प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 1301.00 मे.टन से 2700 मे.टन चना प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं (संलग्न सूची अनुसार) जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित प्रतिष्ठान की होगी। चन्ना प्रदाय मात्रा में कार्पोरेशन द्वारा आवश्यकतानुसार 25% कमी/वृद्धि की जा सकती है अथवा एवं अनुबंध की अवधि आठमाही तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। जो कि निविदाकार पर बंधनकारी होगा इस अवधि में दरों में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- 8.1 संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा के प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यदि क्रय आदेश अवस्था क्रय योग्य मात्रा कम या अधिक रहती है तो प्रदायकर्ता का कोई भी दावा व आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी।
9. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की दशा में चना का सप्लाय अधिकतम 30 दिवस के अंदर प्रदाय आदेश के अनुरूप प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
- 9.1 यदि एक माह का ज्यादा का प्रदाय आदेश देने पर प्रदाय आदेश में वृद्धि किया जा सकता है, यह अधिकार, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर को होगा।
10. चन्ना बोरे में किसी भी दशा में हुक ना लगे। पैकेट फटने पर फटे हुये पैकेट के वजन की पावती प्रदायकर्ता को नहीं दी जावेगी। फटे हुये पैकेट प्रदायकर्ता द्वारा तत्समय ही वापस ले जायेगा।
11. संविदा अवधि में किसी भी कारण जैसे-शासन द्वारा न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा का उत्तर-चढ़ाव, शासन की नीतियों में परिवर्तन यथा जी.एस.टी. अथवा अन्य कर जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किया जावेगा उस पर की दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा सफल निविदाकार को आबंटित मात्रा के अनुसार प्रदाय करना होगा, इसके लिये अतिरिक्त राशि की मांग नहीं कर सकेगा।
12. चना का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर चना प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।
13. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/चना प्रतिष्ठान की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में चना प्रेषण करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जीवित लायसेंस, फैक्ट्री लायसेंस, पैकिंग लायसेंस एवं खाद्य से संबंधित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित लायसेंस, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें कार्पोरेशन द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई

विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित प्रतिष्ठान की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जाकर 3 वर्षों के लिये प्रतिबंधित की जावेगी।

14. चक्र क्रय हेतु निविदा समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबजार-माटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) स्थित बेसडिपो/गोदामों (परिशिष्ट 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामों पर (एफ.ओ.आर.) पहुंचाकर स्टेकिंग करने तक की दर है।
15. यदि प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में चने की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा प्रदाय में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो आम उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए कार्पोरेशन स्वीकृत दर अथवा प्रदायकर्ता के रिस्क एंड कास्ट पर अधिक दर पर कार्पोरेशन के निविदा म भाग लिये गये एल-2, एल-3 एवं अन्य निविदाकारों से न्यूनता के क्रम में प्रतिभूति राशि जमा कराकर, राज्य शासन के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/भारत सरकार के उपक्रम/फर्म से चना क्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं अतिरिक्त व्यय हुई राशि की वसूली अनुबंधित एल-1 प्रदायकर्ता से की जाएगी।
16. जमा अर्नेष्ट मनी एवं सिक्कूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
17. प्रदाय अदेश के तहत निर्धारित मात्रा को निर्धारित समयावधि तक प्रदाय नहीं करने पर 2% पेनाल्टी एवं उस पर जी.एस.टी. अधिरोपित कर, प्रदाय अवधि 30 दिवस अतिरिक्त बढ़ाई जा सकती है। इससे अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने/कालीसूची में दर्ज करने /आगामी तीन साल के लिए अयोग्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगी।
18. यदि अनुबंधित चना प्रतिष्ठान, कार्पोरेशन द्वारा दिये गये चना प्रदाय आदेश के अनुसार चना प्रदाय नहीं करता है तथा चना प्रदाय अवधि समाप्त होने के 07 दिवस के बाद भी चना प्रदाय की प्रगति संतोष जनक नहीं है तो कार्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लिये एल-2 तथा न्यूनता के क्रम में अन्य निविदाकारों से, संविदा के अधीन अनुबंधित एल-1 चना प्रतिष्ठान की जोखिम एवं खर्चों पर अनुपातिक तौर पर चना की पूर्ति कराले। इस स्थिति में कार्पोरेशन के द्वारा किये गये खर्चों की राशि एल-1 के लिये स्वीकृत दर का 25% या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित एल-1 प्रतिष्ठान का होगा।
19. निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में राजसात कर नाम 03 वर्षों के लिये काली सूची में दर्ज की जावेगी।
20. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार है।
21. कार्पोरेशन का यह प्रदाय आदेश अहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कांट्रेक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित नहीं कर सकेगा। यदि अन्य व्यक्ति को अनुबंध (Contract) सौंपा जाता है तो संबंधित फर्म का अनुबंध निरस्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा अनुबंध निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।
22. निविदाकार को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों, शर्तों एवं उसके अधीन जारी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में कार्पोरेशन द्वारा अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा निविदाकार को तीन वर्षों के लिए काली सूची में नाम दर्ज किया जा सकेगा।
23. आपूर्तिकर्ता द्वारा पैकिंग, मटेरियल में बैच नंबर, प्रदाय आदेशवार परिशिष्ट-9 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिंट कराया जायेगा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उपयोग किये जा रहे पैकिंग मटेरियल से चना की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
24. निविदा में भाग लेने वाले एवं अनुबंध करने वाले निविदाकार के किसी भी कार्य से कार्पोरेशन के कार्यप्रणाली/प्रतिष्ठा प्रभावित होती है या कार्पोरेशन को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति होती

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

है, निविदाकार/अनुबंधकर्ता के उपर कार्पोरेशन को प्रभावी "Procedures of CG State Civil Supplies Corporation Ltd for Suspension and Debarment of Contractors/ Firms 2016" के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुस्वर कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

- 25 इस निविदा में उल्लेखित समस्त कण्डिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इन्टरपीटेशन) के विषय में कोई विवाद होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं निविदाकारों पर बंधनकारी होगा।
- 26 इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उस पर एक मात्र आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णय किया जावेगा। इसके लिए संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, नवा रायपुर-छ.ग. अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि एक मात्र आर्बिट्रेटर होंगे, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित जिला न्यायालय होगा।
- 27 प्रदाय की गई चना की गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाया जाता है तो कार्पोरेशन, भुगतान अस्वीकृत करने के साथ साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
28. प्रदायकर्ता द्वारा प्रेषित चना प्रदायकेन्द्रों में प्राप्ति के समय तथा उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण के बाद मानक गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर वापस ले जायेगा तथा प्राप्ति के पश्चात बाद में भी अमानक पाये जाने पर प्रदायकर्ता अपने खर्चों से चना उठायेगा तथा उसमें होने वाली हम्माली/परिवहन/भण्डारण आदि समस्त खर्चों की वसूली प्रदायकर्ता के देयक से की जावेगी।
- 29 (अ) अनुबंधित निविदाकार द्वारा जिलों के गोदामों पर प्रदाय की गई चना मात्रा की ऑनलाईन पावती अनुसार देयक 02 प्रतियों में सप्ताह में एक बार प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत देयकों के अनुसार संबंधित माह में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) अथवा FSSAI द्वारा प्रधिकृत NABL के प्रयोगशाला से प्रदाय आदेशवार/बैच क्रमांकवार चना का गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत 90 प्रतिशत राशि का अंतरिम भुगतान किया जावेगा।
(ब) प्रदायकर्ता द्वारा 10 प्रतिशत राशि के देयक जमा करते समय, ऑनलाईन ट्रकचलान, चना पावती (प्रदायकेन्द्र प्रभारी के सील व हस्ताक्षर हो) विश्लेषण रिपोर्ट (विश्लेषणकर्ता के सील व हस्ताक्षर हो), तौलपत्रक (सभी दस्तावेजों का मूल प्रति) देयक के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावेगा। 10 प्रतिशत शेष राशि का देयक, जिला प्रबंधकों से प्रपत्र-13, प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाईन देयक अनुसार राशियों में से माह में किये गये 90 प्रतिशत अंतरिम भुगतान का समायोजन पश्चात् शेष 10 प्रतिशत राशि में से विलंबित अवधि की पेनाल्टी राशि, जी.एस.टी सहित कटौती एवं अन्य वसूली योग्य राशि का कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
30. प्राप्ति प्रदायकेन्द्र में जिला स्तरीय गुणवत्ता परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण में चना स्वीकृत होने पर ही उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण किया जायेगा तथा समिति द्वारा पुनः परीक्षण में अमानक पाये जाने पर चना अस्वीकृत किया जायेगा जिसके बदले निविदाकार द्वारा मानक गुणवत्ता का चन्दा उपलब्ध कराया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण समिति का परीक्षण रिपोर्ट जिला प्रबंधक से प्राप्त कर प्रपत्र-13 के साथ शेष 10 प्रतिशत राशि के देयक के साथ जमा कराने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
32. निविदाकार फर्म/संस्था को भारत शासन/किसी भी राज्य में कालीसूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र परिशिष्ट-14 अनुसार देना अनिवार्य है।

33. अनुबंधित प्रदायकर्ता द्वारा विशेष रूप से GPS डिवाइस लगे वाहनों से चना प्रदाय किया जावे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्य किया जा सकता है।
34. उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस चन्द्र क्रय संविदा के अभिन्न अंग माना जावेगा।
35. विवाद की स्थिति में किसी भी पक्षकार को किसी भी दावे/क्षतिपूर्ति पर कोई ब्याज की राशि देय नहीं होगी।
- यह करार दिनांक से तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए, लागू रहेगा।

(संविदाकार)

वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है

साक्षी :-

- (1)
- (2)

कार्पोरेशन की ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

- (1)
- (2)

Specifications For Chana Whole

(Specifications of Chana Whole is based on food Safety & Standard Authority of India Regulations 2011)

Chana whole shall be the dried grains of gram (<i>Cicerarietinum</i> Linn.) It shall be sound, clean, sweet, wholesome and free from unwholesome substances. It shall also conform to the following standars, namely:-	
Moisture	Not more than 16 per cent. by wight (obtained by heating the pulverised grains at 130°C-133°C for two hours)
Foreign Matter (Extraneous matter)	Not more than 1 per cent.by weight of which not more than 0.25 per cent.by weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent. by weight shall be impurities of animal origin.
Other edible grains	Not more than 4 per cent by weight.
Damaged Grains	Not more than 5 per cent by weight.
Weevilled grains	Not more than 10 per cent by count.
Uric acid	Not more than 100mg. per kg
Aflatoxin	Not more than 30 micrograms per kilogram

Provided that the total of Foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 9 percent by weight.

Net Weight 1kg

समूह क्रमांक-दो
(जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी,
गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर,
पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही कोरबा)

स्वादिष्ट चना

वित्तीय वर्ष 2020-21

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का
लायसेंस क्रमांक

“छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं
पोषण अधिनियम 2012 के
अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्ड
एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों
को वितरण के लिये”



वितरक :- छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, ब्लाक नंबर-7 ए,
द्वितीय तल, आफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-24, मुख्यालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पालिशिन ग्रेड-60 माइक्रॉन, निर्माता/पैकिंगकर्ता का नाम
एवं पूर्ण पता :
बैच क्रमांक पैकिंग माह

पैकिंग की माह से 06 माह तक उपयोग में

पैकिंगकर्ता एवं स्थान का नाम

**सामग्री : साबुत चना
सामान्य जानकारी**

चना में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम
(अनुमानित मात्रा)

ऊर्जा (कैलोरी)	360
प्रोटीन (ग्राम)	17.1
वसा (ग्राम)	5.3
लोहा (मि.ग्रा.)	10.2
विटामिन ए (माइक्रोग्राम)	189

वितरक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज

कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक नंबर-7 ए, द्वितीय तल, आफिस
कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-24,
मुख्यालय अटल नगर, नवा रायपुर
(छत्तीसगढ़)

निर्माता / पैकिंगकर्ता

कार्य स्थल :

संपर्क :

टोल फ्री नंबर

1800-233-1967 एवं 1800-233-3663

NET 50 KG



छठगठस्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.

ब्लाक नंबर-7 ए, द्वितीय तल, आफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-24,

मुख्यालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

बैग का आंतरिक साईज 57 CM X 100 CM

बैग का वजन- 131 ग्राम से 143 ग्राम

वित्तीय वर्ष 2020-21

स्वादिष्ट चना

“छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनयम 2012 के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को वितरण के लिये”

पैकिंग माह

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT**1. GENERAL**

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made onday of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by ShriChief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller." which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERS to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERS alike, and will provide to all BIDDERS the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERS.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach. In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the bidding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised/Scheduled Bank, promising payment of the guaranteed sum to the(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITERS

9.1 The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designed by the BUYER.

9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on

BUYER

BIDDER

Name of the Officer

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Designation

Department/PSU

Witness

Witness

1.....
.....

1.....
.....

2.....
.....

2.....
.....

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

Guidelines for bidders on using Integrated eProcurement System Govt. of Chhattisgarh.
<https://eproc.cgstate.gov.in>

Note: These conditions will over-rule the conditions stated in the tender document(s), wherever relevant and applicable.

1. Vendor / Bidder Registration on the e-Procurement System:

.All the Users / Bidders (Manufacturers / Contractors / Suppliers / Vendors / Distributors etc.) registered with and intending to participate in the Tenders of various Govt. Departments / Agencies / Corporations / Boards /Undertakings under Govt. of Chhattisgarh processed using the Integrated e-Procurement System are required to get registered on the centralized portal<https://eproc.cgstate.gov.in> and get approval on specific class (e.g. A, B, C, D, UGE, UDE) from Public Works Department (in case to participate in tenders restricted to vendors / bidders in a particular class).

The non – registered users / bidders who are also eligible to participate in the tenders floated using the e-Procurement system are also required to be registered online on the e-Procurement system.

Vendors are advised to complete their online enrolment / registration process on the portal well in advance to avoid last minute hassle, it is suggested to complete enrolment at least four days before the last date of bid submission date, failing which may result in non-submission of bids on time for which vendor/end user shall be solely responsible.

For more details, please get in touch with e-Procurement system integrator, M/s. Mjunction Services Limited, Raipur – 492 001 on Toll free 1800 258 2502 or emailhelpdesk.eproc@cgswan.gov.in.

2. Digital Certificates:

The bids submitted online must be signed digitally with a valid Class II / Class – III Digital Signature Certificate to establish the identity of the bidders submitting the bids online. The bidders may obtain pair of Encryption & Signing Class – II / Class – III Digital Certificate issued by an approved Certifying Authority (CA) authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India.

Note: It may take up to 7 to 10 working days for issuance of Class-II/Class-III Digital Certificate, Therefore the bidders are advised to obtain it at the earliest. It is compulsory to possess a valid Class-II / Class-III Digital Certificate while registering online on the above mentioned e-Procurement portal. A Digital Certificate once mapped to an account / registration cannot be remapped with any other account / registration however it may be inactivated / deactivated.

Important Note: bid under preparation / creation for a particular tender may only be submitted using the same digital certificate that is used for encryption to encrypt the bid data during the bid preparation / creation / responding stage. However bidder may prepare / create and submit a fresh bid using his/her another / reissued / renewed Digital Certificate only within the stipulated date and time as specified in the tender.

In case, during the process of a particular bid preparation /responding for a tender, the bidder loses his/her Digital Certificate because of any reason they may not be able to submit the same bid under preparation online, Hence the bidders are advised to keep their Digital Certificates secure to be used whenever required and comply with IT Act 2000 & its amendments and CVC guidelines.

The digital certificate issued to the authorized user of an individual / partnership firm /private limited company / public limited company / joint venture and used for online bidding will be considered as equivalent to a no-objection certificate / power of attorney to the user.

Unless the certificate is revoked, it will be assumed to represent adequate authority of the specific individual to bid on behalf of the organization / firm for online tenders as per Information Technology Act 2000. This authorized user will be required to obtain a valid Class-II / Class-III Digital Certificate. The Digital Signature executed through the use of Digital Certificate of this authorized user will be binding on the organization / firm. It shall be the responsibility of management /partners of the concerned organization / firm to inform the Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate for the new authorized user.

3. Online Payment: As the bid is to be submitted only online, bidders are required to make online payment(s)of the Registration fee / Transaction or Service fees / EMD using the online payments gateway services integrated

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

into the e-Procurement system using various payment modes like Credit Card / Debit Card / Internet Banking / Cash Card / NEFT / RTGS etc.

For the list of available online modes of electronic payments that are presently accepted on the online payments gateway services, please refer the link 'Payments accepted online' on the eProcurement portal <https://eproc.cgstate.gov.in>.

4. Setup of User's Computer System: In order to operate on the e-Procurement system for a bidder / user, the computer system / desktop / laptop of the bidder is required to have Java ver. 765 , Internet explorer 9 / 11, latest Mozilla firefox with IE Tab V2 (Enhanced IE Tab) or any other latest browser. A detailed step by step document on the same is available on the home page. Also internet connectivity should be minimum one MBPS.

5. Publishing of N.I.T.: For the tenders processed using the e-Procurement system, only a brief advertisement notice related to the tender shall be published in the newspapers and the detailed notice shall be published only on the e-Procurement system. Bidders can view the detailed notice, tender document and the activity time schedule for all the tenders processed using the e-Procurement system on the portal <https://eproc.cgstate.gov.in>.

6. Tender's Critical Dates & Time/Tender Time Schedule: The bidders are strictly advised to follow the tender time for their side for tasks/activities and responsibilities to participate in the tender, as all the activities/ tasks of each tender are locked before the start time & date and after the end time & date for the relevant activity of the tender as set by the concerned department official.

7. Download Tender Document(s): The tender document and supporting document(s) if any can be downloaded only online. The tender document(s) will be available for download to concerned bidders after online publishing of the tender and up to the stipulated date & time as set in the tender.

8. Submit Online Bids: bidders have to submit their bid online after successful filling of forms within the specified date and time as set in the tender.

The encrypted bid data of only those bidders who have submitted their bids within the stipulated date & time will be accepted by the e-Procurement system. It is expected that the bidder complete his bid and submit within timeline, a bidder who has not submitted his bid within the stipulated date & time will not be available during opening.

Bid documents uploading during bid preparation should be less than five MB (for individual document) and over all bid documents should be less than fifty MB.

9. Submission of Earnest Money Deposit: The bidders shall submit their Earnest Money Deposit Either as usual in a physically sealed Earnest Money Deposit envelope and the same should reach the concerned office OR Online using payment gateway as stated in the Notice Inviting Tender. Bidders also have to upload scanned copy of Earnest Money Deposit instrument OR Online Payment /NEFT/RTGS receipt along with the reference details online.

10. Opening of Tenders: The concerned department official receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the online Earnest Money Deposit envelope of all the bidders and verify the same uploaded by the bidders. He / She shall check for the validity of Earnest Money Deposit as required. He / She shall also verify the scanned documents uploaded by the bidders, if any, as required. In case, the requirements are incomplete, the next i.e. technical and commercial envelopes of the concerned bidders received online shall not be opened.

The concerned official shall then open the other subsequent envelopes submitted online by the bidders in the presence of the bidders or their authorized representatives who choose to be present in the bid opening process or may view opened details online.

11. Briefcase: Bidders are privileged to have an online briefcase to keep their documents online and the same can be attached to multiple tenders while responding, this will facilitate bidders to upload their documents once in the briefcase and attach the same document to multiple bids submitting.

For any further queries / assistance, bidders may contact:

1. The Service Integrator of e-Procurement system, M/s. Mjunction Service Ltd. on Help Desk Toll free No. 1800 258 2502 or email helpdesk.eproc@cgswan.gov.in.
2. Mr. Shailesh Kumar Soni, Sr. Manager, Chhattisgarh Infotech & Biotech Promotion Society(CHiPS) on Tel. No. 0771 - 4014158 or email: pro-chips@nic.in.

CERTIFICATE

This is to certify on the basis of books of accounts of M/s -----
 ----- having its head office at -----
 ----- that the above named entity has achieved
 following turnover.

Financial Year	Total Turnover as per Audit Report	Eligible Turnover	
		Qty in (MT)	Amount in Rs
2016-17			
2017-18			
2018-19			

Eligible Turnover means turnover of pulses and its Raw Materials.

Place :

Dated:

 Signature of CA with Seal

Name: -----

Firm Registration Number (if
 applicable) -----

Membership No. -----

शपथ पत्र का प्रारूप
(100/- मूल्य का गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र में)

मैं वल्द उम्र पता
..... एतद् द्वारा निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ कि :-

- 01 यह कि मैं फर्म/संस्था.....
में (फर्म/संस्था में हैसियत) हूँ।
02. मेरी फर्म/संस्थाभारत
सरकार अथवा उसके उपक्रम अथवा किसी भी राज्य में ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं है।

दिनांक :-

स्थान :-

नोटरी द्वारा सत्यापित

हस्ताक्षर /-

(वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है)
फर्म/संस्था का नाम एवं पता

स्थान

तारीख

**प्रतिभूति राशि वापसी हेतु शपथ पत्र
(100 रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड)।**

मैं शपथग्रहिता मेसर्स के लिए
जिनका पता
है पूर्ण जवाबदेही के साथ निम्न कथन शपथपूर्वक करता हूँ कि :-

1. मैं/हम मेसर्स
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर के लिए कार्पोरेशन
द्वारा चना क्रय हेतु आमंत्रित समूह क्रमांक निविदा आमंत्रण
क्रमांक दिनांक हेतु अनुबंधित निविदाकार हूँ/रहा हूँ ।
2. मेरे/हमारे द्वारा पमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुबंधित निविदा अवधि के अंतर्गत
कार्पोरेशन मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये प्रदाय आदेशों के अनुरूप ही चना निर्धारित
गुणवत्ता का प्रदाय किया गया है। इस प्रदाय की गई मात्रा के भुगतान हेतु निगम को जो
देयक प्रस्तुत किये गये हैं उनमें समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति यथा तौलपत्रक, विश्लेषण
रिपोर्ट, चना पावती का एक बार ही क्लेम निर्धारित स्वीकृत दर के आधार पर किया गया है
कोई दोबारा क्लेम की स्थिति नहीं है, भविष्य में यदि इस विषय पर कोई आडिट आपत्ति या
विसंगति पाई जाती है तो ऐसी मात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बाबत समस्त उत्तरदायित्व मेरा/हमारा
होगा।
3. मैं/हम यह भी उल्लेखित करते हैं कि इस अनुबंध अवधि के लिए कार्पोरेशन के अंकेक्षण
/परीक्षण में हमारे संब्यवहार/दावा/स्वीकृत-प्राप्त राशि के लिए यदि कोई तथ्यात्मक कमी/
वसूली का दायित्व हमारे विरुद्ध बनता है तो हम इसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्व लेता हूँ/लेते हैं।
4. मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र आज दिनांक को उपरोक्त उल्लेख के
साथ अनुबंधित प्रदाय समाप्त होने पर कार्पोरेशन के पास जमा प्रतिभूति राशि वापसी के लिए
पूर्ण सदाशयता के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा
रायपुर को प्रस्तुत किया जा रहा है।

**हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता
(निविदाकार के नाम-सील सहित)**

सत्यापन

मैं/हम उपरोक्त शपथग्रहिता शपथ पूर्व कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की कंडिका
क्रमांक-1 से 4 मेरे/हमारे द्वारा तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः सही है। यह सत्यापन आज दिनांक
को स्थान में मेरे समक्ष किया गया।

हस्ताक्षर एवं सील नोटरी

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड,
मुख्यमलय, रायपुर

विषय :- समूह क्रमांक-दो (जिला-बलौदाबजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, कोरबा) निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज क संबंध में ।

निविदा क साथ निम्नांकित दस्तावेज मूल दस्तावेजों से स्केन कराकर संलग्न करना आवश्यक है ।

क्र.	विवरण	पेज क्र.
01	अमानत राशि 2.81 करोड रूपये (आरटीजीएस/ट्रांसफर रसीद) ।	
02	फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
03	भूगीदार/कम्पनी विलेख की प्रतिलिपि	
04	हस्तक्षरकर्ता के पक्ष में पावर आफ एटार्नी	
05	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लायसेंस की प्रतिलिपि	
06	मण्डी लायसेंस की प्रतिलिपि	
07	वाणिज्यकर का टिन नंबर की प्रति	
08	फर्म/कम्पनी के पैन कार्ड की प्रति ।	
09	आयकर विवरण 2016-17 अथवा 2017-18 अथवा 2018-19 की प्रतिलिपि	
10	वर्ष 2016-17 अथवा 2017-18 अथवा 2018-19 के दलहन व्यवसाय का टर्न ओव्हर के सत्यापन के लिये निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं टर्न ओव्हर वाले स्थान का दलहन व्यवसाय का फूड लायसेंस/टर्न ओव्हर से संबंधित राज्य में यदि दलहन लायसेंस प्रदान न की जाती हो तो उस राज्य में राज्य शासन द्वारा अथवा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की छायाप्रति ।	
11	वित्तीय वर्ष 2016-17 अथवा 2017-18 अथवा 2018-19 में दलहन व्यवसाय का टर्न ओव्हर के साक्ष्य स्वरूप फर्म/कम्पनी की अंकेक्षित बैलेंस सीट, लाभ-हानि खाता संलग्न करना आवश्यक होगा ।	
12	फर्म का बैंक एकाउंट नंबर (आई.एफ.एस.सी.कोड सहित)	
13	फर्म/संस्था का जी.एस.टी. नंबर	
14	माइक्रो स्माल मिडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म होने की दशा में पंजीयन की छायाप्रति ।	
15	फर्म/संस्था, भारत शासन/किसी भी राज्य में कालीसूची में दर्ज न होने संबंधी शपथ पत्र ।	

नोट :- उपरोक्त दर्शित बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक सीरियल के अनुसार ही दस्तावेज (नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति) निविदा के साथ संलग्न करें एवं अनुबंध के पूर्व इसकी मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित
मैरबाईल नंबर.....

—:: समाप्त ::—